ग्राम पंचायत अटाहड़ा, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगडा, हि॰ प्र॰ –176204 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023

भाग–एक

1. (क)प्रस्तावना

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत अटाहड़ा, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती सविता कुमारी	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री गोपाल दास	01.04.2021 से 31.03.2023

तकनीकी सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री रामकुमार	01.04.2021 से 17.04.2021
2	श्रीमती मंजू	18.04.2021 से 31.03.2023

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री मनीष कुमार	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत अटाहड़ा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा सं॰	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषों में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना	2.38
2	5.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	22.86
3	6.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.66
4	7.1	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना।	2.77
5	7.2	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक का क्रय करना	3.31
6	7.3	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.60
7	8	नियमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर युक्त भुगतान आदेश के बिना ही भुगतान करना	4.15
8	9	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	7.72

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:–

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत अटाहड़ा का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 के लिये किया गया था जिसके शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है :–

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक

क्र0सं0	पैरा सं	निर्णीत/अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान दौरान
2.	4	अनिर्णीत	—
3.	5	अनिर्णीत	—
4.	6 से 6.2	अनिर्णीत	—
5.	7	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान
6	7.2	अनिर्णीत	—
7	8	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान
8	9	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान
9	10	अनिर्णीत	—
10	11	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान
11	12	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान
12	13.1 से 13.2	अनिर्णीत	—

13	13.3	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.22 से 12.01.22 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत अटाहड़ा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री दीपक सिंह पठानियां, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 26.12.2023 से 01.01.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2021—22	05/2021	07/2021
2022—23	05/2022	08/2022

अस्वीकरणः—वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹6400/— आंका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2023/—289 दिनांक 01.01.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः—

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2023/—284 दिनांकः 26.12.2023 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है:–

1.स्वः–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2021-22	553322.76	1069396	1622718.76	685619.40	937099.36
2022-23	937099.36	797437	1734536.36	1053275	681261.36

2.अनुदानः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2021-22	1518654.64	2751690	4270344.64	2193863.22	2076481.42
2022-23	2076481.42	3175126.17	5251607.59	2965490.81	2286116.78

कुल योग (1+2) 681261.36+2286116.78 = **2967378.14**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः–

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2023 को रोकड़बही/वित्तीय स्थिति से **₹29,67,378.14** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹3205241.38** से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार है:–

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र0 सं0	विवरण	बैंक	खाता	अन्त शेष (₹)
1	स्वःस्त्रोत/तीसरा वित/ वी.के.वी.एन.वाई/एस.डी. पी/एस.डी.आर.एफ/सी. एस.सी	का•के•सह•बैंक गग्रंथ	20031004501	839784.08
2	तीसरा वित्त	का•के•सह•बैंक गगंथ	50055728284	10
3	एम.एम.जी.पी.वाई	का•के•सह•बैंक गगंथ	50055728217	58479

4	वी.के.वी.एन.वाई	का•के•सह•बैंक गगंथ	50060171687	1397
5	वी.एम.जे.एस	का•के•सह•बैंक गगंथ	50055728171	22060
6	एस.डी.पी	का•के•सह•बैंक गगंथ	50058983911	10085
7	एस.बी.एम	का•के•सह•बैंक गगंथ	50055728375	0
8	एन.आर.एच.एम	का•के•सह•बैंक गगंथ	80055728331	29
9	14वाँ वित्तायोग	का•के•सह•बैंक गगंथ	50055728319	0
10	15वाँ वित्तायोग	एच.डी.एफ.सी जस्सूर	50100367804895	2272252.30
11	हस्तगत शेष			1145
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योगः				**₹3205241.38**
दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4) अन्तशेषः–				**₹2967378.14**
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेषः–				**₹3205241.38**
अन्तरः–				**237863.24**

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

(ग) रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹2.38 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत अटाहड़ा द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि **₹237863.24** का अन्तर बैंक में अधिक शेष के रूप में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/286 दिनांकः 29.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके उत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–22/2023–24 दिनांक 01.01.2024 द्वारा सूचित किया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा।

अतः इस बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार वर्तमान में अन्तर का शीघ्रातिशीघ्र मिलान करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में

नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके तथा बैंक एंव रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(घ) लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना:–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस–किस कार्य हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व किस–किस कार्य पर कितना–कितना व्यय हुआ है तथा किस कार्य को पूरा किया जा चुका है। यह एक गम्भीरं अनियमितता है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/288 दिनांकः 30/12/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 22/2023–24 दिनांक 01.01.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार किये जा रहे है। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाये व कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(ङ) खाता–क व खाता–ख का रख–रखाव अलग–अलग न रखना:–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता सख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता–क खोला जायेगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियाँ और प्राप्त ऋण हेतु खाता–ख खोला जायेगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत अटाहड़ा द्वारा स्वः स्त्रोत व अनुदान राशि का खाता–क व खाता–ख अलग–अलग से तैयार नहीं किया गया था बल्कि स्वः स्त्रोत व अनुदानों की, सयुंक्त रोकड़ बही लगाई गई थी तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वःस्त्रोत, तीसरा वित, वी.के.

वी.वाई.एन, एस.डी.पी, एस.डी.आर.एफ, सी.एस.सी आदि शीर्षों के अन्तर्गत तथा सभा निधि के लिये नियमों एवं निर्देशों के विरूद्ध खाता संख्या 20031004501 में ही प्राप्त अनुदानों को जमा किया गया तथा इससे ही व्यय किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों के लिये अलग–2 खाते भी खोले गये थे, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। जोकि नियमों के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इन्कार नही किया जा सकता। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/288 दिनांकः 30.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 22/2023–24 दिनांक 01.01.2024 द्वारा दिया गया उत्तर कि भविष्य में खाता–क व खाता–ख का अलग–अलग अनुसंधारण कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही एवं स्कीमवार बैंक खातों का रख–रखाव न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में खाता–क व खाता–ख के अनुरूप रोकड़ बही एवं स्कीमवार बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5.1 अनुदान की राशि ₹22.86 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/–284 दिनांक 26.12.2023 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि [redacted]1 व [redacted]2 पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2023 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹22,86,116.78/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी:–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1	एम.एम.जी.पी.वाई	31.03.2023	8092.76
2	एन.आर.एच.एम	31.03.2023	9912
3	वी.एम.जे.एस	31.03.2023	22060
4	14वाँ वित्तायोग	31.03.2023	36202
5	15वाँ वित्तायोग/जेड.पी/पी0स0	31.03.2023	2209850.02
		कुल जोड	**2286116.78**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त

करने से यह पंचायत पीछे है। विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था परन्तु ऐसा न होने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अतः अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

5.2 अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (Update) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखाकंन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.66 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत द्वारा सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/–284 दिनांकः 26/12/2023 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत निम्न तालिका व **परिशिष्ट–"3"** में दिये गये विवरणानुसार सम्पत्ति कर /गृहकर की मद में ₹66,345/– की राशि दिनांक 31.03.2023 को वसूली हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

वित्तीय वर्ष	**अथशेष**	**परिवार**	**गृहकर वार्षिक दर**	**माँग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि ₹**
2021-22	33095	650	25	16250	49345	0	49345
2022-23	49345	680	25	17000	66345	0	66345
नोटः– दिनाँक 31.03.2023 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि ₹ 66345/– है।							

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 गृहकर माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार न करनाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम के नियम 33 व 77 के प्रारूप 10 में पंचायत के गृहकर का माँग व एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि हेतु गृहकर माँग व एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत ही नहीं किया गया, जिसके अभाव में **परिशिष्ट "3"** पर दर्शाए दिनांक 31.03.2023 का सम्पत्ति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः गृहकर माँग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व शीघ्रातिशीघ्र इसे तैयार करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

6.3 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः—

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना सख्या—SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है तथा जिसे समय—समय पर वसूल करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235—00—800—03' में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत अटाहड़ा द्वारा वर्ष 2021—22 व 2022—23 के दौरान निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया थाः—

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि
1.	2021—22	3700
2	2022—23	3875
	जोड़	**7575**

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/288 दिनांक: 30/12/2023 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत अटाहड़ा के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 22/2023–24 दिनांक 01/01/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।

अतः उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7.1 क्रय किये गये सामान राशि ₹2.77 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत अटाहड़ा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"4"** पर संकलित राशि **₹2,77,167**/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/288 दिनांक: 30/12/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 22/2023–24 दिनांक 01/01/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से स्टॉक प्रविष्टियां की जा रही है। प्रस्तुत उतर संतोषजनक नहीं पाया गया है।

अतः क्रय किये गये सामान का समुचित इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

ANNUAL REPORT

7.2 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹3.31 लाख के स्टॉक का क्रय करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत अटाहड़ा के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"4"** में दिए गए विवरणानुसार ₹3,31,273/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/288 दिनांकः 30/12/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 22/2023–24 दिनांक 01/01/2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके सामान क्रय किया जायेगा। प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7.3 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करने फलस्वरूप सरकारी कोष को ₹0.61 लाख की राजस्व हानि :–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"5"** पर संलग्न चुनिंदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹60,538/– का अनियमित भुगतान किया गया था।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/288 दिनांकः 30.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–22/2023–24 दिनांक

01/01/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की राशि की कटौती कर ली जायेगी। दिया गया उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म को उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री की राशि का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 प्रतिशत पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः उक्त किये गये अनियमित भुगतान को या तो समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853" नॉन फैरस माइनिंग एवं मेटोलोजिकल इंडस्ट्रीज उप–शीर्ष "102" मिनरल कनसेशन फीस किराया एवं रॉयल्टीस "81" खनिज शुल्क रियायत आदि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। पूर्वोक्त मामलों के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई निर्माण सामग्री हेतु रॉयल्टी की राशि की संस्था/विभागीय स्तर पर समुचित गणना कर उसकी भी वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.4 निर्माण कार्य के लिये सामग्री खरीद हेतु ₹1458/–का अधिक भुगतान करना:–

1.निर्माण चारदीवारी पंचायत घर अटाहड़ा की रिकार्ड प्रविष्टियां का अवलोकन करने पर पाया निम्न विवरणानुसार माप पुस्तिका संख्या 12725 के पृष्ठ संख्या 96,97 में निर्माण सामग्री बजरी का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 189 दिनांक 28.01.2021 के अनुसार निर्माण सामग्री रेत 7cu3 का क्रय किया गया था, तथा क्रय की गई कुल सामग्री को खपत के रूप में दर्शाया गया था। क्रय/खपत की गई मात्रा को अधिक दर्शाने के कारण ₹875 का अधिक भुगतान किया गया।

2.निर्माण सार्वजनिक बाथरूम अटाहड़ा की रिकार्ड प्रविष्टियां का अवलोकन करने पर पाया निम्न विवरणानुसार माप पुस्तिका संख्या 13088 के पृष्ठ संख्या 44,45 व 46 में निर्माण सामग्री सरिया का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 169 दिनांक 08.08.2022 के अनुसार निर्माण सामग्री सरिया 248.6 कि0ग्रा0 का क्रय किया गया था, तथा क्रय की गई कुल सामग्री को खपत के रूप में दर्शाया गया था। क्रय/खपत की गई मात्रा को अधिक दर्शाने के कारण ₹583/– का अधिक भुगतान किया गया:–

क्र0सं0	अनुदान	सामग्री	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्यो पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर	राशि
1.	सभा निधि	रेत	7cu3	5.75cu3	1.25cu3	700	875
2.	पी.एस	सरिया	248.6kg	240.3kg	8.3kg	70.23	583
					जोड़		**1458**

बजरीः– Item- P/L(1:4:8) = 6.16 cu3+5%(variation) X .89(Aggregate Factor) = 5.75cu3

सरियाः– Item- 2.67Cu3 X 90/m3 = 240.3kg

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/–288 दिनांकः 30/12/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 22/2023–24 दिनांक 01/01/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की संबंधित संविदाकार/फर्म से वसूली कर ली जायेगी। दिया गया उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अधिक भुगतान की गई राशि बारे तथ्यों सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित अनुदान में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 नियमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर युक्त भुगतान आदेश के बिना ही ₹4.15 लाख का भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

ग्राम पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही (संलग्न **परिशिष्ट 4**) ₹4,15,060/– का भुगतान किया गया था जोकि उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है। जिसके अभाव में किये गये भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती। यह एक अत्यंत गम्भीर अनियमितता है।

इस गम्भीर प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/288 दिनांक: 30/12/2023 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत अटाहड़ा के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 22/2023–24 दिनांक 01/01/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से इन नियमो की अनुपालना की जा रही है।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9 ₹7.72 लाख के निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अकेक्षण के दौरान निम्न विवरणानुसार राशि ₹7,71,819/– के निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सकाः–

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सख्या/दिनांक	निर्माण कार्य का नाम	राशि (₹)
1	एस.डी. पी/जेड.पी	18/01.07.2021	निर्माण वेटिंग शेड शमशानघाट वार्ड–5	34075
2	जेड पी	36/28.07.2021	नि0 एंबुलेंस रोड सडक से शमशानघाट तक	23856
3	14वां वित	39,47–49/28.07.2021	मुरम्मत रास्ता मेन सडक से बाबडी तक	120461
4	14वां वित	41,43–46/28.07.2021	मुरम्मत रास्ता मेन सडक से जरनेल सिंह,जीत सिंह मुहल्ला लम्बरा दा	189664
5	14वां वित	50,52–55	मुरम्मत रास्ता भनोडी हेण्डपंप से सडक तक	119888
6	एस.डी.आर. एफ	54–62/30.08.2022	मुरम्मत रास्ता हरिजन बस्ती कटल से गोदरे मुहल्ले तक वार्ड न0–1	283875
			कुल योग	**771819**

उक्त निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे सचिव ग्राम पंचायत अटाहडा से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/288 दिनांकः 30/12/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 22/2023–24 दिनांक 01/01/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि आगामी अंकेक्षण में माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया। अतः सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न कर पाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

10 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जाँच उपरान्त तथा पैरा संख्या 9 में दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1.नियम 96(1) की अनुपालना में अनुभागी/संकर्म समिति नहीं बनाई गई थी जिसके साथ निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत द्वारा उक्त नियमावली के "परिशिष्ट – ई" में दिए गए "अनुबन्ध" प्रारूप में अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित था।

2.हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के उप नियम 93 (1) (ए) के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है ताकि निर्माण कार्यो में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। अंकेक्षण अवधि के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अटाहड़ा द्वारा निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया गया व सभी कार्य सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना स्वंय करवाए गए है, जोकि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय– ग्यारह के उप नियम 93 की अवहेलना है।

3.नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच ;मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

4.किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

5.निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस,रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की थी।

इन अनियमितताओं बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/288 दिनांकः 30.12.2023 द्वार सचिव ग्राम पंचायत अटाहडा को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 22/2023–24 दिनांक 01/01/2024 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमो की अनुपालना की जा रही है।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि• प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 34 के अंर्तगत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/284 दिनांकः 26.12.2023 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव कार्यालय पत्र संख्या 22/2023–24 दिनांक 01/01/2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी , जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के	11	37

	कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।		
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
7	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
9	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इस अभिलेख का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/–284 दिनांकः 26.12.2023 द्वारा अनुरोध

किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 22/2023–24 दिनांक 01/01/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तर्कसंगत नहीं है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियां:–

13.1 रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जाना:–

रसीद बुको के स्टॉक की जाँच में पाया गया कि इसे हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5(5) के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म–2 में रसीदों के स्टॉक रजिस्टर में रखा जायेगा।

इसके अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13 (5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/खाली रसीदो को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप–4 के अनुसार बनाए गये स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया है। जिस कारण से अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गयी तथा प्रयोग की गई रसीदों का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका तथा न ही अंकेक्षण जाँच संभव हो पाई है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदों के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदों का अभिलेख पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14 **लघु आपति विवरणिका:–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

15 **निष्कर्ष:–** लेखों के रख–रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय–2 पर जारी निर्देशों आदि की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखाओं के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

13 MAR 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

1338 – 1342 का0/प्रति

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)217/2018–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत अटाहड़ा, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)–176204 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

13 MAR 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0/प्रति

ANNEXURE -1(पैरा संख्या 4.1(क))

FINANCIAL POSITION OF GP ATAHARA FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	553322.76	1069396	1622718.76	685619.40	937099.36
2022-23	937099.36	797437	1734536.36	1053275	681261.36

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	1518654.64	2751690	4270344.64	2193863.22	2076481.42
2022-23	2076481.42	3175126.17	5251607.59	2965490.81	2286116.78

Secretary
Gram Panchayat Attahra
Dev. Block Indora (Kangra) H.P.

21

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GP GRANTS- IN- AID OF GP ATAHaRA FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING THE YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	MMGPY	2021-22	54536	33507	88043	83536	4507
		2022-23	4507	304586	309093	301000.24	8092.76
2	SBM	2021-22	21930	666	22596	0	22596
		2022-23	22596	205	22801	22801	0
3	NRHM	2021-22	10000	4	10004	0	10004
		2022-23	10004	3	10007	95	9912
4	VMJS	2021-22	20817	632	21449	0	21449
		2022-23	21449	611	22060	0	22060
4	14TH FC	2021-22	862233.64	24371	886604.64	711437	175167.64
		2022-23	175167.64	11831	186998.64	150796.64	36202
5	15TH FC/ZP/PS	2021-22	549138	1437367	1986505	143747.22	1842757.78
		2022-23	1842757.78	1672756	3515513.78	1305663.76	2209850.02
6	MNREGA	2021-22	0	1255143	1255143	1255143	0
		2022-23	0	1185134.17	1185134.17	1185134.17	0

Secretary
Gram Panchayat Attahra
Dev. Block Indora (Kangra) H.P.

(परिशिष्ट–"3" पैरा सख्यां "6" के सन्दर्भ में)

कार्यालय ग्राम पचांयत अटाहड़ा,विकास खण्ड इन्दौरा जिला कांगडा हि0प्र0 176204

दिनांक 31–03–2023 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2021–22 में 650 तथा 2022–23 में 680 परिवारों का रु 25/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर सेः–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2021-22	33095	650	25	16250	49345	0	49345
2022-23	49345	680	25	17000	66345	0	66345
	नोटः– दिनाँक 31.03.2023 को बकाया गृहकर की राशि ₹66345 /– है।						

Gram Panchayat Attahra
Dev. Block Indora (Kangra) H.P.

परिशिष्ट–"4"

ग्राम पंचायत अटाहडा विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश ,स्टॉक/स्टोर की क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना व औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर क्रय करना। पैरा संख्या– "7.2" में संदर्भित।

अनुदान	वो.स./ दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स./ दिनांक	मात्रा/रेट	आपूर्तिकर्ता	राशि ₹	टिप्पणी
1सभा निधि	16/ 01.07.21	फर्नीचर क्रय	201/ 28.06.21	-	मै0 सुनील फर्नीशिंग इडस्टी जसूर	35900	स्टॉक प्रविष्टि, निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
2.14वां वित	17/ 01.07.21	लकडी का टेवल (18% GST के साथ)	208/ 29.06.21	01@7203.39 01@4661.01	मै0 सुनील फर्नीशिंग इडस्टी जसूर	8500 5500	स्टॉक प्रविष्टि, निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
3.जेड. पी/एस. डी.पी	18/ 01.02.21	ब्रिक रेत बजरी20mm (5% GST के साथ)	154/ 24.09.20	4000@5.890 04cu3@893 08cu3@665	मै0 मगहर सिंह फोरेस्ट ठेकेदार डागला	24738 3751 5586	स्टॉक प्रविष्टि, निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
4.एस.डी.पी	20/ 01.07.21	पाईप इत्यादि	252/ 01.10.20		मै0 चौधरी टेडर्ज गंगथ नूरपुर	23993	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
5.एस.डी.पी	21,22/ 01.07.21	रेत बजरी 20mm	155,156/ 29.09.20	04cu3@940 6.41cu3@700	मै0 मगहर सिंह फोरेस्ट ठेकेदार डागला	3760 4487	स्टॉक प्रविष्टि
6.सभा निधि	27/ 28.07.21	स्टेशनरी	823/02. 07.21	-	मै0 अमन प्रिटिंग प्रैस इन्दौरा	5010	स्टॉक प्रविष्टि, निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
7. सभा निधि	28/ 28.07.21	ब्रिक रेत बजरी20mm मिक्चर	189/ 28.01.21	4000@6.2 07cu3@700 05cu3@945 07day@380	मै0 मगहर सिंह फोरेस्ट ठेकेदार डागला	24800 4900 4725 2660	स्टॉक प्रविष्टि, निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
8..एस.डी. पी	29/ 28.07.21	बजरी	188/ 02.01.21	25cu3@665	मै0 मगहर सिंह फोरेस्ट ठेकेदार डागला	16625	स्टॉक प्रविष्टि, निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
9.14वां वित	31/ 28.07.21	रेत बजरी पत्थर सीमेंट भाडा (5% GST के साथ)	निल/ 28.01.21	14cu3@893 27cu3@665 15cu3@475 145bag@20	मै0 मगहर सिंह फोरेस्ट ठेकेदार डागला	13127 18853 7481 3045	स्टॉक प्रविष्टि, निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
10.14वां वित	33/ 28.07.21	रेत बजरी (5% GST के साथ)	169/ 05.12.20	05cu3@893 05cu3@665	मै0 मगहर सिंह फोरेस्ट ठेकेदार डागला	4688 3491	स्टॉक प्रविष्टि, निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
11.15वां वित	62/ 30.08.22	मिक्चर मशीन	149/ 10.05.22	25day@500	मै0 पठानियां सीमेंट एण्ड हार्डवेयर स्टोर अटाहडा	12500	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
12.15वां वित	62/ 30.08.22	बजरी	149/ 10.05.22	24cu3@1250	मै0 गुरू नानक टेडर्स डागला	30000	दो निविदाये प्रस्तुत की गई

13.15वां वित	66 / 30.08.22	बजरी	180 / 02.06.22	20cu3@1250	मै0 गुरु नानक टेडर्स डागला	25000	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
14.15वां वित	68 / 30.08.22	शटरिंग मिक्चर	153 / 11.06.22	900sq2@10 10day@500	मै0 पठानियां सीमेंट एण्ड हार्डवेयर स्टोर अटाहडा	9000 5000	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
15.15वां वित	69 / 30.08.22	बजरी	175 / 01.06.22	10cu3@1275	मै0 गुरु नानक टेडर्स डागला	12750	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
16.पी.एस	72 / 31.08.22	सरिया12mm सरिया10mm (18% GST के साथ)	169 / 08.08.2022	94.80kg@66.79 149.80kg@68.90	मै0 चौधरी टेडर्ज गंगथ नूरपुर	7471 12179	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
17.मनरेगा	निल / 25.08.22	सीमेंट बैग	23255 / 07.04.22	215@351.35	मैं0 हि.प्र.सिविल सप्लाई नूरपुर	75540	स्टॉक प्रविष्टि
				कुल जोड		415060	

नोट:- 1. क्रमसंख्या:- 1, 2, 3, 5, 6 से 10 व 17 की स्टॉक प्रविष्टियां नहीं की गई अथवा अभिलेख में प्रस्तुत नहीं की गयी थी।

2. क्रमसंख्या:- 1 से 4 व 5 से 16 तक औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया था।

Attahra
(Kangra) H.P.

परिशिष्ट– "5"

ग्राम पंचायत अटाहड़ा खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि पैरा–"7.3" के सन्दर्भ में

Name of Supplier	Bill No. & Date	Vr. No. & Date	Name of Item	Qty. (cft)	Qty. (cum)	Determining Fator	Qty. (in MT.)	Royality (Per MT.)	Due Royality
ZP/SDP									
M/s Maghar Singh Forest Contractor Dagla	154/24.09.2020	18/01.07.2221	Sand	—	4.000	1.600	6.400	80.00	512.00
			Bajri	—	8.000	1.460	11.680	80.00	934.00
do	155,156/29.09.2020	21,22/01.07.2021	Sand	—	4.000	1.600	6.400	80.00	512.00
			Bajri	—	6.410	1.460	9.359	80.00	749.00
do	188/02.01.2021	29/28.07.2021	Bajri	—	25.000	1.460	36.500	80.00	2920.00
Own Source									
do	189/28.01.2021	28/28.07.2021	Sand	—	5.000	1.600	8.000	80.00	640.00
			Bajri	—	7.000	1.460	10.220	80.00	818.00
14TH FC									
do	Nil/02.01.2021	31/28.07.21	Sand	—	14.000	1.600	22.400	80.00	1792.00
			Bajri	—	17.000	1.460	24.820	80.00	1986.00
			Stone	—	15.000	2.240	33.600	80.00	2688.00
do	169/05.12.2020	33/28.07.2021	Sand	—	5.000	1.600	8.000	80.00	640.00
			Bajri	—	5.000	1.460	7.300	80.00	584.00
SDRF									
M/s Guru Nank Traders Dagla	167/25.03.2022	54/30.08.2022	Bajri	—	40.000	1.460	58.400	80.00	4672.00
do	169/26.03.2022	55/30.08.22	Bajri	—	30.000	1.460	43.800	80.00	3504.00
do	170/27.03.2022	56/30.08.22	Bajri	—	30.000	1.460	43.800	80.00	3504.00
do	171/28.03.2	57/30.08.22	Bajri	—	35.000	1.460	51.100	80.00	4088.00
do	172,173/30.0322	58,59/30.08.22	Sand	—	55.000	1.600	88.000	80.00	7040.00
15TH FC									
do	182/02.06.22	63/23.08.22	Sand	—	12.000	1.600	19.200	80.00	1536.00
			Bajri	—	24.000	1.460	35.040	80.00	2803.00

28

Secretary
Gram Panchayat Attahra
Dev. Block Indora (Kangra) H.P.

do	180/02.06.22	66/30.08.22	Sand	—	10.000	1.600	16.000	80.00	1280.00
			Bajri	—	20.000	1.460	29.200	80.00	2336.00
do	181/03.06.22	67/30.08.22	Sand	—	3.000	1.600	4.800	80.00	384.00
			Bajri	—	6.000	1.460	8.760	80.00	700.00
do	175/01.06.22	69/30.08.22	Sand	—	5.000	1.600	8.000	80.00	640.00
			Bajri	—	10.000	1.460	14.600	80.00	1168.00
								Total	48430.00
								25% Penalty	12108
								G.Total	**60538.00**

Secretary
Gram Panchayat Attaint
Dev Block Indora (Kangra) H.P.